



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052021-227040  
CG-DL-E-18052021-227040

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2021/वैशाख 28, 1943

No. 151]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2021/VAISAKHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना नीति और कार्यक्रम अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2021

फा. सं. 13/1/2017-आईएनएफ.—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची (अनुबंध-1) एतद्वारा अधिसूचित की जाती है। दिनांक 24 अगस्त, 2020 की अधिसूचना में किए गए निम्नलिखित परिवर्तनों को नई सूची में समाविष्ट किया गया है:

i प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केंद्र को परिभाषित करते हुए पादटिप्पणी के साथ 'सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना' की श्रेणी में एक नई मद को जोड़ने के द्वारा अवसंरचना उपक्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची में "प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केंद्र" को जोड़ा जाता है।

बी. पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव (आईपीएफ)

अनुबंध-1

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र.सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	परिवहन एवं संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स)	<ul style="list-style-type: none"> <li>सड़क और पुल</li> <li>पत्तन<sup>1</sup></li> <li>पोत कारखाना<sup>2</sup></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• अन्तर्देशीय जलमार्ग</li> <li>• विमानपत्तन</li> <li>• इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल प्रणाली सुरंग, पुल, सेतु सहित रेलवे ट्रैक</li> <li>• कार्यशाला एवं संबद्ध रखरखाव की सुविधाओं के साथ रेलवे चल स्टॉक</li> <li>• स्टेशन एवं समीपवर्ती वाणिज्यिक अवसंरचना सहित रेलवे टर्मिनल अवसंरचना</li> <li>• शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में चल स्टॉक को छोड़कर)</li> <li>• संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) अवसंरचना<sup>3</sup></li> <li>• भारी-भरकम सामग्री परिवहन पाइपलाइनें<sup>4</sup></li> </ul>
2.	ऊर्जा	<ul style="list-style-type: none"> <li>• विद्युत उत्पादन</li> <li>• विद्युत पारेषण</li> <li>• विद्युत वितरण</li> <li>• तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा<sup>5</sup></li> </ul>
3.	जल और स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन</li> <li>• जल शोधन संयंत्र</li> <li>• वाहित मल संग्रहण, शोधन तथा निपटान प्रणाली</li> <li>• सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि)</li> <li>• स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली</li> </ul>
4.	संचार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क)<sup>6</sup></li> <li>• दूरसंचार टावर</li> <li>• दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं</li> </ul>
5.	सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना	<ul style="list-style-type: none"> <li>• शिक्षण संस्थाएं (पूँजीगत स्टॉक)</li> <li>• खेलकूद अवसंरचना<sup>7</sup></li> <li>• अस्पताल (पूँजीगत स्टॉक)<sup>8</sup></li> <li>• पर्यटन अवसंरचना अर्थात् (i) 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल (ii) रोपवे एवं केबल कार</li> <li>• औद्योगिक पार्को तथा फूड पार्को, टैक्सटाईल पार्को, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधाओं तथा कृषि बाजार जैसी औद्योगिक गतिविधि वाले अन्य पार्को हेतु साझी अवसंरचना</li> <li>• कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना</li> <li>• टर्मिनल बाजार</li> <li>• मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं</li> <li>• प्रशीतन श्रृंखला<sup>9</sup></li> <li>• सस्ते आवास<sup>10</sup></li> <li>• सस्ते किराये वाले आवासीय परिसर<sup>11</sup></li> <li>• प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केंद्र<sup>12</sup></li> </ul>

1. मुख्य तलकर्मण शामिल हैं।
  2. "पोत कारखाने" को प्लवमान अथवा भूमि-आधारित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें तट, पोत का रुख मोड़ने हेतु चौड़े जलमुख, नौकाबंधन एवं लंगरगाह, जलावतरण तथा/अथवा पोत को उठाने की अत्यावश्यक विशेषताएं हों, और जो पोत निर्माण/मरम्मत/पोत ध्वस्त करने संबंधी क्रियाकलाप करने में सक्षम हों।
  3. "लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश तथा 10 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 20,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ प्रशीतन सुविधा तथा/अथवा 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 1 लाख वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ भांडारागार सुविधा सहित बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क सम्मिलित है।"
  4. तेल, गैस, स्लरी, जल आपूर्ति तथा लौह अयस्क पाइपलाइनें शामिल हैं।
  5. कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भण्डारण शामिल है।
  6. ऑप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क, जो ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।
  7. खेलकूद और खेलकूद संबंधी कार्यकलाप में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए प्रशिक्षणशालाओं हेतु खेलकूद स्टेडियम और अवसंरचना का प्रावधान शामिल है।
  8. चिकित्सा कालेज, परा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं।
  9. कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर पर फसल कटाई पश्चात् फसलों के तापमान को शीघ्र इष्टतम स्तर पर लाने हेतु प्रशीतन कक्ष सुविधा शामिल है।
  10. "सस्ते आवास" को एक ऐसी आवासीय परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें अधिकतम 60 वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्र@ वाली आवासीय इकाई के लिए फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएसआर)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के कम से कम 50 प्रतिशत का उपयोग किया गया है।
  11. "सस्ते किराये वाले आवासीय परिसर" का अर्थ मूलभूत नागरिक अवसंरचना सुविधा जैसे कि जल, स्वच्छता, जल अवशिष्ट/सैप्टेज, सड़क, विद्युत के साथ-साथ आवश्यक सामाजिक/वाणिज्यिक अवसंरचना सहित न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि हेतु शहरी प्रवासी/गरीब (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों) के लिए केवल किराये के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली परियोजनाओं से है तथा जहां यह परियोजना स्थित होगी वहां आसपास के क्षेत्र के स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर स्थानीय प्राधिकारियों/निकायों द्वारा आरंभिक किराया तय किया जाएगा।  
परियोजना का अर्थ सूचीबद्ध परियोजना से है जिसमें न्यूनतम दो कमरों या एक कमरे की 40 आवासीय इकाइयां अथवा समान संख्या में शयनगृह (डोरमिटरी) इकाइयां या किसी भी अनुपात में सभी तीनों का मिश्रण हो परंतु यह दो शयनकक्ष इकाइयों के अंतर्गत कुल निर्मित क्षेत्र के एक-तिहाई से अधिक न हो।  
आवासीय इकाइयों (डीयू) का अर्थ 60 वर्ग मीटर तक फर्श क्षेत्र@ में बैठक कक्ष, रसोई, शौचालय एवं स्नानागार के साथ दो शयनकक्ष (बैडरूम) को शामिल करके एक इकाई या 30 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र तक बैठक कक्ष, रसोई, शौचालय एवं स्नानागार के साथ एकल शयनकक्ष से है।  
शयनगृह (डोरमिटरी) इकाइयों का अर्थ 30 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र में साझी रसोई, शौचालय एवं स्नानागार के साथ तीन डोरमिटरी शयन के समुच्चय से है अर्थात् प्रति डोरमिटरी शयन पर 10 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र।  
@ "फर्श क्षेत्र" का तात्पर्य वही होगा जो स्थावर संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (ट) में दिया गया है।
  12. "प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केंद्र" को प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केंद्र परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें विशिष्ट रूप से प्रदर्शनी अथवा अभिसमय अथवा संयुक्त रूप से दोनों के लिए न्यूनतम 1,00,000 वर्गमीटर का निर्मित तल क्षेत्र है।
- \* निर्मित तल क्षेत्र में प्राथमिक सुविधाएं जैसे कि प्रदर्शनी केंद्र, अभिसमय सभामंडप, सभागार, परिपूर्ण (प्लेनरी) सभामंडप, व्यापार केंद्र, बैठक सभामंडप इत्यादि शामिल हैं।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Economic Affairs)****(INFRASTRUCTURE POLICY & PROGRAMME SECTION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2021

**F. No. 13/1/2017-INF.**—With the approval of the Competent Authority, an updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified. The new list incorporates the following change to the notification dated 24<sup>th</sup> August, 2020:

i. “Exhibition-cum-Convention Centre” is included in the Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors by insertion of a new item in the category of ‘Social and Commercial Infrastructure’, with a footnote defining Exhibition-cum-Convention Centre.

B. PURUSHARTHA, Jt. Secy. (IPF)

**Annexure-I****Updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors**

Sl. No.	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport and Logistics	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roads and bridges</li> <li>• Ports<sup>1</sup></li> <li>• Shipyards<sup>2</sup></li> <li>• Inland Waterways</li> <li>• Airport</li> <li>• Railway track including electrical &amp; signalling system, tunnels, viaducts, bridges</li> <li>• Railway rolling stock along with workshop and associated maintenance facilities</li> <li>• Railway terminal infrastructure including stations and adjoining commercial infrastructure</li> <li>• Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)</li> <li>• Logistics Infrastructure<sup>3</sup></li> <li>• Bulk Material Transportation Pipelines<sup>4</sup></li> </ul>
2.	Energy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electricity Generation</li> <li>• Electricity Transmission</li> <li>• Electricity Distribution</li> <li>• Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility<sup>5</sup></li> </ul>
3.	Water and Sanitation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid Waste Management</li> <li>• Water treatment plants</li> <li>• Sewage collection, treatment and disposal system</li> <li>• Irrigation (dams, channels, embankments, etc.)</li> <li>• Storm Water Drainage System</li> </ul>
4.	Communication	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecommunication (fixed network)<sup>6</sup></li> <li>• Telecommunication towers</li> <li>• Telecommunication &amp; Telecom Services</li> </ul>

5.	Social and Commercial Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Education Institutions (capital stock)</li> <li>• Sports Infrastructure<sup>7</sup></li> <li>• Hospitals (capital stock)<sup>8</sup></li> <li>• Tourism infrastructure viz. (i) three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million, (ii) ropeways and cable cars</li> <li>• Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with industrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets</li> <li>• Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage</li> <li>• Terminal markets</li> <li>• Soil-testing laboratories</li> <li>• Cold Chain<sup>9</sup></li> <li>• Affordable Housing<sup>10</sup></li> <li>• Affordable Rental Housing Complex<sup>11</sup></li> <li>• Exhibition-cum-Convention Centre<sup>12</sup></li> </ul>
----	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> Includes Capital Dredging

<sup>2</sup> “Shipyard” is defined as a floating or land-based facility with the essential features of waterfront, turning basin, berthing and docking facility, slipways and/or ship lifts, and which is self sufficient for carrying on shipbuilding/repair/breaking activities.

<sup>3</sup> “Logistics Infrastructure” means and includes Multimodal Logistics Park comprising Inland Container Depot (ICD) with minimum investment of Rs 50 crore and minimum area of 10 acre, Cold Chain Facility with minimum investment of Rs 15 crore and minimum area of 20,000 sft, and/or Warehousing Facility with investment of minimum Rs 25 crore and minimum area of 1 lakh sq ft.

<sup>4</sup> Includes Oil, Gas, Slurry, Water supply and Iron Ore Pipelines.

<sup>5</sup> Includes strategic storage of crude oil.

<sup>6</sup> Includes optic fibre/wire/cable networks which provide broadband / Internet.

<sup>7</sup> Includes the provision of Sports Stadia and Infrastructure for Academies for Training/Research in Sports and Sports-related activities.

<sup>8</sup> Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostics Centres.

<sup>9</sup> Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.

<sup>10</sup> “Affordable Housing” is defined as a housing project using at least 50% of the Floor Area Ratio (FAR)/Floor Space Index (FSI) for dwelling units with carpet area<sup>@</sup> of not more than 60 square meters.

<sup>11</sup> “Affordable Rental Housing Complex” means a project to be used for rental purpose only for urban migrant/poor (EWS/LIG categories) for a minimum period of 25 years with basic civic infrastructure facilities such as water, sanitation, sewerage/ septage, road, electricity along with necessary social/commercial infrastructure and the initial rent fixed by Local Authority/ Entities based on local survey of surrounding area wherein the project is situated.

Project means a listed project having at least 40 Dwelling Units of double room or single room or equivalent Dormitory Units or a mix of all three in any ratio but not more than one third of total built up area under double bedrooms units.

Dwelling Units (DUs) means a unit comprising of double bed room with living area, kitchen, toilet and bathroom of up to 60 square meters carpet area<sup>@</sup> or single bed room with living area, kitchen, toilet and bathroom of up to 30 square meters carpet area<sup>@</sup>.

Dormitory Units means a set of 3 Dormitory Bed with common kitchen, toilet and bathroom in 30 square meters carpet area<sup>@</sup> meaning 10 square meters carpet area<sup>@</sup> per Dormitory Bed.

<sup>@</sup> “Carpet Area” shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.

<sup>12</sup> “Exhibition-cum-Convention Centre” is defined as Exhibition and Convention Centre Projects with minimum built-up floor area\* of 100,000 square metres of exclusively exhibition space or convention space or both combined.

\* Built up floor area includes primary facilities such as exhibition centres, convention halls, auditoriums, plenary halls, business centres, meeting halls etc.